न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 80 / 2015

अनवान : –

1. दलीप पुत्र महावीर जाति जाट साकिन ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. सुभाष पुत्र महावीर जाति जाट साकिन ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. रामस्वरूप पुत्र रामेश्वर जाति जाट साकिन ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
2. ईश्वर पुत्र रामेश्वर जाति जाट साकिन ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
3. श्रवण पुत्र रामेश्वर जाति जाट साकिन ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
4. सन्दीप पुत्र अमरसिंह जाति जाट साकिन ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
5. जयदीप पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
6. रामेश्वर पुत्र भींयाराम जाति जाट साकिन ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
7. अमरसिह पुत्र भींयाराम जाति जाट साकिन ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
8. औमप्रकाश पुत्र भींयाराम जाति जाट साकिन ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
9. रोशनी पुत्री भींयाराम पत्नी मोहनलाल जाति जाट साकिन धीरवास बड़उा तहसील तारानगर जिला चुरू।
10. शारदा पुत्री भींयाराम जाति जाट साकिन टिडियासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
11. गायत्री पुत्री भीयाराम पत्नी साहबराम जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
12. महावीर पुत्र भींयाराम जाति जाट साकिन ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
13. सुमित्रा पुत्री महावीर पत्नी रामसिंह जाति जाट साकिन जोड़किया तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
15. उप पंजीयक रामगढ़ तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 11/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर के ख.न. 90 की 2.6300 हैक्टेयर, 93/2 की 3.0840 हैक्टेयर, 103 की 0.9610 हैक्टेयर कुल 6.6750 हैक्टेयर भूमि में से 176 हिस्सा में वादीगण एवं प्रतिवादी न. 12 ता 13 ब.हि.ब. 1/8 हिस्सा प्रतिवादी न. 1 ता 3 ब.हि.ब. 1/24 हिस्सा प्रतिवादी न. 4 का 1/24 हिस्सा प्रतिवादी न. 5 का 1/24 हिस्सा प्रतिवादी न. 6 ता 11 ब.हि.ब. 6/8 हिस्सा के काबिज खातेदार काश्तकार है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने हक व हिस्सा की भूमि को कास्त करते एवं रकम राज अदा करते आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दु खानदान परिवार के सदस्य है वादीगण एवं प्रतिवादी न. 13 भींयाराम पुत्र श्योदान के पौत्र एवं पौत्री है एवं प्रतिवादी न. 6 ता 12 पुत्र एवं पुत्रिया है एवं प्रतिवादी न. 1 ता 3 प्रतिवादी न. 6 के लड़के है एवं प्रतिवादी न. 4 प्रतिवादी न. 7 का लड़का है एवं प्रतिवादी न. 5 प्रतिवादी न. 8 का लड़का है भीयाराम पुत्र श्योदान परिवार का मुखिया एवं कर्ता खानदान होने के कारण अपने पिता के फोत होने पर विवादित भूमि विरास्तन प्राप्त हुई है विवादित भूमि पैतृकि जदी जायदाद है जिसमें प्रतिवादी न. 6 ता 12 का जन्म से ही विवादित भूमि में अपने पिता के साथ ब.हि.ब. का हक व हिस्सा बनता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.25 12:06:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

विवादित भुमि पैतृकि जदी जायदाद है जो भीयाराम पुत्र श्योदान को परिवार का मुखिया एवं कर्ता खानदान होने के कारण अपने पिता के फोत होने पर विरास्तन प्राप्त हुई है जिसमें प्रतिवादी न. 6 ता 12 का जन्म से ही अपने पिता के साथ ब.हि.ब. का हक व हिस्सा बनता है एवं प्रतिवादी न. 12 के हिस्सा में वादीगण एवं प्रतिवादी न. 13 का जन्म से ही अपने पिता के साथ ब.हि.ब. का हक व हिस्सा बनता है लेकिन राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं होने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादी न. 12 ता 13 के खातेदारी हकूक का हनन् होता है इसलिए वादीगण एवं प्रतिवादी न. 12 ता 13 विवादित भुमि में अपने हक व हिस्सा की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में 1/8 हिस्सा भूमि अपने नाम अमल दरामद करवाने के अधिकारी है।

विवादित भुमि पैतृक जदि जायदाद होने के कारण भीयाराम पुत्र श्योदान एवं उसके वारिसान प्रतिवादी न. 6 ता 12 ब.हि.ब. विवादित भूमि में 1/8, 1/8 हिस्सा के हकदार हुए लेकिन प्रतिवादी न. 1 ता 8 नें साजिसाना कार्यवाही कर गुपचुप तरिके से भीयाराम पुत्र श्योदान के नाम दर्ज सम्पूर्ण भूमि यानि 176 हिस्सा भूमि का एक दान पत्र जिसमें प्रतिवादी न. 1 ता 3 के नाम 1/3 हिस्सा प्रतिवादी न. 4 के नाम 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी न. 5 के नाम 1/3 हिस्सा का हक व हिस्सा से ज्यादा भूमि का दिनांक 16–04–2015 को उपपंजियक कार्यालय रामगढ़ में तस्दीक करवा दिया जो हक व हिस्सा से ज्यादा भूमि का होने के कारण वादीगण के हकूक के मुकाबले शून्य एवं प्रभावहीन है। विवादित भूमि पैतृक जदि जायदाद होने के कारण भीयाराम पुत्र श्योदान विवादित भूमि में 1/8 हिस्सा का हकदार हुआ लेकिन प्रतिवादी न. 1 ता 5 ने साजिसाना कार्यवाही कर गुपचुप तरिके से सम्पूर्ण भूमि का दान पत्र दिनांक 16–04–2015 को उपपंजियक कार्यालय रामगढ़ में अपने पक्ष में तस्दीक करवा लिया जो हक व हिस्सा से ज्यादा भूमि का होने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादी न. 12 ता 13 के हकूक के मुकाबले शून्य एवं प्रभावहीन है जिसे शून्य एवं प्रभावहीन घोषित करवा कर वादीगण विवादित्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी न. 12 ता 13 ब.हि.ब. 1/8 हिस्सा की घोषणा की करवा कर अपने नाम अमल दरामद करवाने के अधिकारी है यही विनाय दावा है।

प्रतिवादी न. 1 ता 5 ने हक से ज्यादा मुमि का दान पत्र दिनांक 16.04.2015 को उपपजियंक रामगढ से अपने पक्ष में तस्दीक करवा लिया है जिसका नाजायज फायदा उठाने के लिए विवादित भुमि को अपने नाम दर्ज करवाकर रहन बैय एवं मुतकिल करने की सरेआम धमकी देते है यदि प्रतिवादी न. 1 ता 5 अपने उक्त मकसद में कामयाब हो जाते है तो वादीगण को भारी नुकसान होता है जिसकी पूर्ति बाद में किसी प्रकार से सभंव नहीं है इसलिये वादीगण, प्रतिवादी न. 1 ता 5 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करवाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी न. 1 ता 5 को कई मर्तबा कहा कि दान पत्र दिनांक 16–04–2015 को वादीगण एवं प्रतिवादी न. 12 ता 13 के हकूक के मुकाबले शून्य एवं प्रभावहीन घोषित करवा कर विवादित भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी न. 12 ता 13 को ब.हि.ब. 1/8 हिस्सा के खातेदार कास्तकार स्वीकार कर राजस्व [illegible] दुरुस्त करवाले एवं विवादित भुमि को अपने नाम दर्ज करवाकर रहन बैय [illegible] दे तो कुछ दिन तो टालमठोल करते रहे बिल आखिर दिनांक 22.04.2015 बमुक[illegible] ललानाबारा नथवानिया कतई इन्कार हो गये यही विनाय मुखास्मत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.25 12:06:18 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
मोहर

अत वाद वादी घोषणा की जावे की रोही मौजा ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर के ख.न. 90 की 2.6300 हैक्टेयर, 93/2 की 3.0840 हैक्टेयर, 103 की 0.9610 हैक्टेयर कुल 6.6750 हैक्टेयर भूमि में से 176 हिस्सा में से वादीगण एवं प्रतिवादी न. 12 ता 13 ब.हि.ब. 1/8 हिस्सा प्रतिवादी न. 1 ता 3 ब.हि.ब. 1/24 हिस्सा प्रतिवादी न. 4 का 1/24 हिस्सा प्रतिवादी न. 5 का 1/24 हिस्सा प्रतिवादी न. 6 ता 11 ब.हि.ब. 6/8 हिस्सा के खातेदार कास्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश फरमावे एवं भीयाराम पुत्र श्योदान का नाम कलमजन किया जावें एवं जमाबन्दी में शेष काश्तकारो का हिस्सा यथावत रहेगा।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। जवाब हेतु काफी अवसर देने के बाद भी जवाब पेश नही किया गया इसलिए न्यायहित में जवाब बंद किया गया। शेष प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अत एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

साक्ष्य वादी में वादी ने शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया तथा वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेज साक्ष्य जमाबंदी ग्राम ललानाबास नथवानिया सम्वत 2069–72 ईएक्सपी–1, नकल मिसल बंदोबस्त सम्वत 2029 ता 38 ग्राम ललानाबास नथवानिया ईएक्सपी–2, नकल दानपत्र दिनांक 13.04.2015 पेश किये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की पूर्व में वादी के पूर्वजों श्योदान के नाम दर्ज थी और उनके बाद भीयाराम पुत्र श्योदान के नाम दर्ज हुई जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है लेकिन भीयाराम पुत्र श्योदान ने दिनांक 16.04.2015 को उप पंजीयक रामगढ़ में प्रतिवादी स0 1 ता 5 के पक्ष में दानपत्र करवा दिया जो की भीयाराम द्वारा अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि का करवाया गया है भीयाराम को उक्त सम्पूर्ण भूमि का दानपत्र करने का अधिकारी नही है था क्योंकि वाद भूमि में वादीगण का भी जन्मजात हक हिस्सा था अत दानपत्र वादीगण के हकों के मुकाबले शुन्य व प्रभावहीन है अत रोही मौजा ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर के ख.न. 90 की 2.6300 हैक्टेयर, 93/2 की 3.0840 हैक्टेयर, 103 की 0.9610 हैक्टेयर कुल 6.6750 हैक्टेयर भूमि में से 176 हिस्सा में से वादीगण एवं प्रतिवादी न. 12 ता 13 ब.हि.ब. 1/8 हिस्सा प्रतिवादी न. 1 ता 3 ब.हि.ब. 1/24 हिस्सा प्रतिवादी न. 4 का 1/24 हिस्सा प्रतिवादी न. 5 का 1/24 हिस्सा प्रतिवादी न. 6 ता 11 ब.हि.ब. 6/8 हिस्सा के खातेदार कास्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश फरमावे एवं भीयाराम पुत्र श्योदान का नाम कलमजन किया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर [illegible] को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.25 12:06:18 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानाबास

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नथवानिया तहसील नोहर के ख0न0 103, 90, 93/2 की भूमि प्रतिवादी स0 1 ता 5 की अन्य सहखातेदारान के साथ संयुक्त खाता में दर्ज है। वादी द्वारा उक्त कथन किया गया है कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की पूर्व में वादी के पूर्वजों श्योदान के नाम दर्ज थी और उनके बाद भीयाराम पुत्र श्योदान के नाम दर्ज हुई जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है लेकिन भीयाराम पुत्र श्योदान ने दिनांक 16.04.2015 को उप पंजीयक रामगढ़ में प्रतिवादी स0 1 ता 5 के पक्ष में दानपत्र करवा दिया जो की भीयाराम द्वारा अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि का करवाया गया है भीयाराम को उक्त सम्पूर्ण भूमि का दानपत्र करने का अधिकारी नही है था क्योंकि वाद भूमि में वादीगण का भी जन्मजात हक हिस्सा था अत दानपत्र वादीगण के हकों के मुकाबले शुन्य व प्रभावहीन है अत वादी का जो भी हक हिस्सा है के मुताबिक वाद वादी डिक्री किया जावे जबकि पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक दिनांक 13.4.2015 को भीयाराम पुत्र श्योदान द्वारा प्रतिवादी स0 1 ता 5 के पक्ष में रजिस्टर्ड दानपत्र करवाया गया है लेकिन न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 28.03.2017 को ख0न0 90 की 2.6300 हैक्ट, ख0न0 103 की 0.9610 हैक्ट भूमि के घोषणा हेतु प्रकरण स0 05/2012 अनवानी भीयाराम बनाम महावीर न्यायालय में वाद पेश किया गया था एवं वाद वादी पक्षकारों की सहमति के आधार पर डिक्री किया गया एवं उक्त दोनो खसरो बाबत वादीगण द्वारा वाद पेश किया गया है जबकि पूर्ववर्ती वाद में वादीगण का पिता बतौर पक्षकार संयोजित था फिर भी वादीगण द्वारा रोही मौजा ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर के ख0न0 90, 103 व 93/2 का एक अन्य वाद पेश किया गया है जबकि ख0न0 90 व 103 पूर्ववर्ती वाद भीयाराम बनाम महावीर में दर्ज थे एवं वादीगण द्वारा इन्ही ख0न0 बाबत एक अन्य वाद पेश किया गया है जो की संधारण योग्य नही है। अत वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में खारिज योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने व संधारण योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.25 12:06:18 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 80 / 2015

अनवान : –

1. दलीप पुत्र महावीर जाति जाट साकिन ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. सुभाष पुत्र महावीर जाति जाट साकिन ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. रामस्वरूप पुत्र रामेश्वर जाति जाट साकिन ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
2. ईश्वर पुत्र रामेश्वर जाति जाट साकिन ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
3. श्रवण पुत्र रामेश्वर जाति जाट साकिन ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
4. सन्दीप पुत्र अमरसिंह जाति जाट साकिन ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
5. जयदीप पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
6. रामेश्वर पुत्र भींयाराम जाति जाट साकिन ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
7. अमरसिह पुत्र भींयाराम जाति जाट साकिन ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
8. औमप्रकाश पुत्र भींयाराम जाति जाट साकिन ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
9. रोशनी पुत्री भींयाराम पत्नी मोहनलाल जाति जाट साकिन धीरवास बड़उा तहसील तारानगर जिला चुरू।
10. शारदा पुत्री भींयाराम जाति जाट साकिन टिडियासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
11. गायत्री पुत्री भीयाराम पत्नी साहबराम जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
12. महावीर पुत्र भींयाराम जाति जाट साकिन ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
13. सुमित्रा पुत्री महावीर पत्नी रामसिंह जाति जाट साकिन जोड़किया तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
15. उप पंजीयक रामगढ़ तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 80 सन 2015 निर्णय दिनांक 11/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री हवासिंह पूनियां एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ...11/05/26... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.25 12:06:18 IST
Reason: SelfAttested